

लादिया पुत्र बजरंगा बैरवा निवासी ककराजखुर्द तह0 पीपलू (फोट)

1-रामनिवास पुत्र लादिया जाति बैरवा नि0 ककराजखुर्द तह0पीपलू जिला टोंक  
कुल कस 4

वादीगण

बनाम

1-नाथ्या पुत्र गंगल्या जाति बैरवा नि0ककराजखुर्द तह0 पीपलू(फोट)

2-रामजीलाल पुत्र नाथ्या बैरवा नि0 ककराजखुर्द तह0 पीपलू

कुल कस 22

प्रतिवादीगण


अधिवक्ता वादी :- श्री नन्दकिशोर शर्मा

अधिवक्ता प्रतिवादीगण :- सी0बी0गुर्जर

निर्णय दिनांक :07.03.2018

दावा उदघोषणा दुरुस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि आराजी भूमि खसरा नं0 230 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम ककराजखुर्द में स्थित है जोकि हरदेवा के तीन लडके थे बजरंगा,ग्यारसा,गंगल्या जिसमें से बजरंगा की मृत्यु हुए काफी समय हो गया था। जिसका वादी ही एक मात्र वारिस है। इस प्रकार वादी 1/3 हि0 व ग्यारसा 1/3 हि0 व प्रतिवादीगण नं01 ता 14 के दादा व पिता का 1/3 हि0 पर कब्जा है। वादीगण ने उक्त आराजीयात के 1/3 हि0 को तत्कालीन खातेदार ग्यारसा पुत्र हरदेवा से दिनांक 15.02.1994 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया था। इस प्रकार उक्त खसरा नं0 में वादी का 2/3 हिस्सा हो गया था। विक्रयपत्र में ग्यारसा ने साफ-साफ लिखा था कि हम तीन भाई हैं जिनका उक्त भूमि में प्रत्येक का हक 1/3 हिस्सा है। मैंने मेरा हिस्सा मेरे भाई के लडके लादिया को विक्रय कर कब्जा मौके पर सम्भला दिया है तब से लेकर आज तक वादी उक्त भूमि के 2/3 पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। राजस्व रिकार्ड में मुझ वादी का 2/3 हिस्सा दर्ज नहीं किया गया बल्कि नामान्तकरण में 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया गया जो गलत व असवैधानिक है जिसे दुरुस्त करवाने का वादी को अधिकार है। राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी 1 ता 2 व प्रतिवादीगण 1 ता 14 के पिता व दादा का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा गलत रूप से अंकन होने के कारण प्रतिवादीगण 1 ता 2 ने गलत अंकन का फायदा उठाते हुए हिस्सा 1/3 बताकर जबकि प्रतिवादी नं0 1 व 2 का उक्त भूमि में 2/9 ही था। प्रतिवादी सं0 14 को जरिये रजि0विक्रयपत्र दिनांक 08.06.2001 को बैचान कर दिया। जिससे पश्चातवर्ती विक्रयपत्र वादी के हित के विपरीत व निष्प्रभावी है तथा वादीगण 1 व 2 द्वारा किया गया विक्रयपत्र शुन्य है तथा सम्पत्ति अधिनियम की धारा 48 के तहत प्रभावहीन है जिससे विक्रयपत्र त्रुटिहीन व असवैधानिक होने से निरस्त योग्य है। उक्त भूमि ख0नं0 230 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा के 1/3 हिस्से का वादी पूर्व से खातेदार था। तत्पश्चात ग्यारसा के 1/3 हिस्से को जरिये रजि0विक्रयपत्र दिनांक 15.02.1994 को प्रतिफल राशि अदा करके कब्जा प्राप्त कर कुल 2/3 हिस्से पर बहेसियत खातेदार काश्तकार काबिज चला आ रहा है। अतः वादी को 2/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम 2/3 हिस्से का अंकन किया जाना न्याय संगत है। प्रतिवादीगण 1 ता 2 द्वारा प्रतिवादी सं0 14 के हक में किये गये विक्रयपत्र के कारण प्रतिवादी नं0 14 अपने हक में राजस्व रिकार्ड में अंकन कराकर व प्रतिवादीगण 3 ता 13 भी अपने हिस्से को बेचने व वादी को बेदखल करने पर आमदा हैं। अतः प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि व स्वयं व ऐजेंट नोकर,रिश्तेदार या अन्य किसी व्यक्ति के माध्यम से वादग्रस्त आराजी से वादी को बेदखल नहीं करें। अतः श्रीमानजी दावा वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत उदघोषणा व दुरुसती इन्द्राज पारित फरमाया जाकर वादी को वादग्रस्त भूमि ख0नं0 230 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम ककराजखुर्द के 2/3 हिस्से का खोतदार काश्तकारघोषित किया जावे व राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे तथा प्रतिवादीगण 1 व 2 द्वारा प्रतिवादी नं0 14 के पक्ष में किया गया विक्रय पत्र को निरस्त फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे।



वर्जित ग्यारसा, गंगल्या ताना संग भाई था। और ताना को उक्त भूमि में बहिस्सा बराबर 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सा था ग्यारसा लओलाद फौत हो गया जिससे उक्त भूमि बजरंगा व गंगल्या का 1/2, 1/2 हिस्सा दर्ज हुआ है और प्रतिवादी सं० 14 ने भूमि 4 बीघा 9 बिस्वा का 1/3 हिस्सा खातेदारन नाथया, अमरी प्रतिवादी 1 व 2 से जयें रजि० विक्रयपत्र से दिनांक 09.06.2011 को 80000/-रु० में क़य कर मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी सं० 14 सदभावी क़ेता है तथा उक्त भूमि पर मालिक स्वामी की हेसियत से काबिज है। वादी द्वारा ग्यारसा का हिस्सा 15.02.1994 को क़य किया था उसी अनुरूप अपने हक में नामान्करण भरवाया जो विक्रयपत्र फर्जी व जाली, बनावटी है। प्रतिवादी नं० 14 के हक में मुझे विक्रय पत्र से कोई आपत्ति भी है तो इस विक्रयपत्र को सक्षम सिविल न्यायालय में चुनोती देता। राजस्व न्यायालय से वादी प्रतिवादी नं० 14 के हक में हुए विक्रयपत्र को प्रभावहीन व शुन्य करार करवाने का अधिकारी नहीं है। वादी ने जिसको चेलेंज नहीं किया है। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

अतः उक्त वाद में दस्तावेजों के आधार पर निम्न प्रकार तनकी निर्णित की जाती है :-

**तनकी नं० 1 :-** आया विवादित भूमि में स्वयं वादीगण का पूर्व में 1/3 हिस्सा व 1/3 हिस्सा ग्यारसा से खरीदने के कारण 2/3 हिस्से का खातेदार हो गये। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण को है। वादी ने उक्त आराजीयात के 1/3 हि० को तत्कालीन खातेदार ग्यारसा पुत्र हरदेवा से दिनांक 15.02.1994 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया था। इस प्रकार उक्त खसरा नं० में वादी का 2/3 हिस्सा हो गया था। विक्रयपत्र में ग्यारसा ने साफ-साफ लिखा था कि हम तीन भाई हैं जिनका उक्त भूमि में प्रत्येक का हक 1/3 हिस्सा है। मैंने मेरा हिस्सा मेरे भाई के लडके लादिया को विक्रय कर कब्जा मौके पर सम्भला दिया है तब से लेकर आज तक वादी उक्त भूमि के 2/3 पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। राजस्व रिकार्ड में मुझ वादी का 2/3 हिस्सा दर्ज नहीं किया गया बल्कि नामान्तकरण में 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया गया जो गलत व असवैधानिक है जिसे दुरुस्त करवाने का वादी को अधिकार है। इस कारण उक्त तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

**तनकी नं० 2 :-** आया वादी विवादित भूमि में 2/3 हिस्से का अंकन नहीं करके 1/2 हिस्से का अंकन कर दिया गया। जिसको दुरुस्त करवाने के अधिकार वादीगण है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी का है। जोकि दिनांक 15.02.1994 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया था। इस प्रकार उक्त खसरा नं० में वादी का 2/3 हिस्सा हो गया था। विक्रयपत्र में ग्यारसा ने साफ-साफ लिखा था कि हम तीन भाई हैं जिनका उक्त भूमि में प्रत्येक का हक 1/3 हिस्सा है। मैंने मेरा हिस्सा मेरे भाई के लडके लादिया को विक्रय कर कब्जा मौके पर सम्भला दिया है तब से लेकर आज तक वादी उक्त भूमि के 2/3 पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। राजस्व रिकार्ड में मुझ वादी का 2/3 हिस्सा दर्ज नहीं किया गया बल्कि नामान्तकरण में 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया गया जो गलत व असवैधानिक है जिसे दुरुस्त करवाने का वादी को अधिकार है। इस कारण उक्त तनकी भी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

**तनकी नं० 3 :-** आया प्रतिवादीगण 1 ता 2 ने गलत अंकन का फायदा उठाकर विवादित भूमि 1/2 हिस्से में से 1/3 हिस्से को प्रतिवादी नं० 14 को विक्रय कर दिया जिसका उन्हे कोई अधिकारी नहीं है। पश्चातवर्ती विक्रयपत्र निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है प्रतिवादीगण 1 ता 2 ने रिकार्ड के अनुसार गलत अंकन का फायदा उठाकर 1/3 हिस्सा प्रतिवादी नं० 14 को विक्रय किया गया जो निरस्तनीय है। उक्त तनकी भी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

**तनकी नं० 4:-** आया वादीगण 2/3 हिस्से के खातेदार काबिज होने के कारण प्रतिवादी को स्थायी निषाज़ा से पाबन्द कराने का अधिकारी है। उक्त तनकी के संबंध में तनकी नं० 1 ता 3 में वादी का 2/3 हिस्सा बनता है तथा गवाहों के बयानों से भी सिद्ध है कि वादीगण को

सिद्ध

उक्त भूमि क 2/3 हिस्से का कब्जा है। इस कारण तनकी वादी के पक्ष में आंशिक निर्णित की जाती है।

**तनकी नम्बर 5:-**आया ग्यारसा लाऔलाद फोट होने के कारण विवादित भूमि में प्रतिवादीगण का हिस्सा 1/2 है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड अनुसार वादीगण 3 भाई थे जिसमे से लादिया ने जरिये रजि0विक्रयपत्र स अपने हिस्से 1/3 का बैचान वादीगण को करने से उनका हिस्सा 2/3 जाहिर है। इस कारण उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

**तनकी नम्बर 6:-** आया विवादित भूमि का प्रतिवादी 1/3 हिस्सा विक्रय किया गया विक्रयपत्र सही है जिसको गलत नहीं कहा जा सकता। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का है। उपरोक्त तनकी नं0 1 ता 4 से स्पष्ट सिद्ध है कि प्रतिवादी 1 व 2 ने गलत अंकन के आधार पर विक्रयपत्र किया गया है जो निष्क्य है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

**तनकी नम्बर 7:-**आया ग्यारसा द्वारा 15.02.1994 को किया गया विक्रयपत्र फर्जी जाली व बनावटी है। उसके आधार पर प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने का अधिकार नहीं है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का है। किन्तु प्रतिवादीगण ने कोई साक्ष्य, सबूत पेश नहीं किये जिससे उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

हमने बहस अभिभाषकगण सुनी। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण विवादित भूमि में स्वयं वादीगण का पूर्व में 1/3 हिस्सा व 1/3 हिस्सा ग्यारसा से खरीदने के कारण 2/3 हिस्से का खातेदार हो गया। इस कारण उक्त आराजीयात के 1/3 हि0 को तत्कालीन खातेदार ग्यारसा पुत्र हरदेवा से दिनांक 15.02.1994 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से खरीदने से वादीगण का 2/3 हिस्सा हो गया था। विक्रयपत्र में ग्यारसा ने साफ-साफ लिखा था कि हम तीन भाई हैं जिनका उक्त भूमि में प्रत्येक का हक 1/3 हिस्सा है। मैंने मेरा हिस्सा मेरे भाई के लडके लादिया को विक्रय कर कब्जा मौके पर सम्मला दिया है। राजस्व रिकार्ड में वादीगण का 2/3 हिस्सा दर्ज नहीं किया गया बल्कि नामान्तकरण के 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया गया जो गलत व असंवैधानिक है जिसे दुरुस्त किया जाना स्पष्ट जाहिर है।

अतः दावा वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत उदधोषणा पारित फरमायी जाकर वादीगण को वादग्रस्त भूमि ख0नं0 230 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम ककराजखुर्द के 2/3 हिस्से का खोतदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष प्रतिवादी न0 3 ता 13 को 1/9 हिस्सा व प्रतिवादी न 14 के नामा 2/9 हिस्से का अंकन किये जाने का आदेश दिया जाता है तहसीलदार पीपलू दक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावे

निर्णय आज दिनांक 07.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

— 21805

( अर्पिता सोनी )

आरएएस

उपखण्ड अधिकारी पीपलू